

10<sup>9</sup>/<sub>24</sub>

उपखण्ड अधिकारी  
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

वादी वकील उप. वादी जाये वकील के प्राप्त्र  
प्राप्त्र कर निवेदन किया है कि उपरोक्त वाद  
न्यायालय क्षीमा के विचाराधीन है। उक्त वाद में  
आराजी ख. नं० 239 पहले ग्राम अमनपुर में  
अन्य तलवा में चली गयी ख. नं० 239 व  
239/1968 का अन्वय ही गया जो सहीराम पुत्र  
रामेश्वर के हित में आ गया है। राजीनामा दावा  
की शिलीफ बदल गई। वादी बदल गया है।  
वादीगण का वाद पत्र पुनः पेश करने की आड़ में  
कि ताप वापीन को दावा जाना की रूपा में। इसी  
दावा वकील वादी का पुत्र गया। पत्रावली का कर्तव्य  
किया। अतः प्राप्त्र स्वीकार किया गया है। प्राप्त्र  
पत्र स्वीकार पा द्रष्टे किया गया है। व वादी  
को पुनः उक्त वाद पेश करने की आड़ में दावा  
जानी है। पत्रावली के तल अन्वय होकर नसर  
से कम है। वाद प्रति दायित्व दायर है।

उपखण्ड अधिकारी  
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)